रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273085
CG-DL-E-03062026-273085

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948**
No. 366]	**NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.147.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2). ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ज) में, "अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर "ऐसा प्ररूप अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) खंड (ण) का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, प्ररूप "पी1 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे ।

4. मूल विनियमों के विनियम 14 में,

(क) उप-विनियम (3) में, "प्ररूप पी2 में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (5) में, "प्ररूप पी3 में होगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में होगा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) उप-विनियम (7) में, "प्ररूप पी4 में होगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में होगा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल विनियमों के विनियम 15 में,

(क) "प्ररूप पी2" शब्दों के स्थान पर "विनियम 14 में यथा-निर्दिष्ट प्ररूप" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (iii) और (vi) में, "प्ररूप पी5 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल विनियमों के विनियम 16 में,

(क) उप-विनियम (1) में "प्ररूप पी6 में की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में की जाएगी, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (2) में, "प्ररूप पी7 में होगी" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में होगी, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल विनियमों के विनियम 17 में, "प्ररूप पी8 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मूल विनियमों के विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**18. आवेदक द्वारा दी जाने वाली जानकारी और दस्तावेज़ ।**

धारा 54ग की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, कारपोरेट आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:-

(1) यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों के बहुमत द्वारा की गई घोषणा की प्रति ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) धारा 54क के निबंधनानुसार पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए यथास्थिति, घोषणा, विशेष संकल्प या संकल्प की प्रति ।

(3) वित्तीय लेनदारों से अनुमोदन का प्रमाण, जो संबद्ध पक्षकार नहीं हैं, जो वित्तीय ऋण के मूल्य में कम से कम इकावन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(4) दिवाला व्यावसायिक के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरेः

(क) प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक की ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, लिखित सम्मति ।

(ख) संहिता की धारा 54ख की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट समाधान व्यावसायिक की रिपोर्ट जो ऐसे प्ररूप में तैयार की गई हो, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(5) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए कारपोरेट ऋणी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियां ।

(6) चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनंतिम वित्तीय विवरणियां, जो यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों द्वारा घोषणा किए जाने की तारीख तक अद्यतन की गई हों ।

(7) ऐसा प्ररूप, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो और लेनदारों के प्रवर्गों के लिए चयनित प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, जहां कहीं भी लागू हो ।"

9. मूल विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियम (2) के:

(क) खंड (क) में, 'प्ररूप पी9 में' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ख) में, 'प्ररूप पी2 में' शब्दों के स्थान पर 'ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए' शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल विनियमों के विनियम 20 में, -

(क) उप-विनियम (1), (2) और (8) में, "प्ररूप पी10 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (9) में, "प्ररूप पी10" शब्दों के स्थान पर "ऐसा प्ररूप, जो उप-विनियम (8) के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल विनियमों के विनियम 43 में,

(क) उप-विनियम (1) में, "प्ररूप पी11 में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (2) और (3) में, "प्ररूप पी11" शब्दों के स्थान पर "ऐसा प्ररूप, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल विनियमों के विनियम 49 में,

(क) उप-विनियम (1) में, "प्ररूप पी12 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (4) में, "प्ररूप पी13 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

13. मूल विनियमों के विनियम 51 में, "प्ररूप पी14 में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

14. मूल विनियमों में, विनियम 51 के पश्चात्, "अनुसूची" का लोप किया जाएगा ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./136/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 151, तारीख 9 अप्रैल, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-

22/जी.एन./आर.ई.जी.071, तारीख 9 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं.330, तारीख 20 मई, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई/2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.143., तारीख 19 मई, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Third Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG147.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) (Third Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, in sub-regulation (1),

(a) in clause (h), for the words "a Form specified in the Schedule", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) clause (o) shall be omitted.

3. In the principal regulations, in sub-regulation (1) of regulation 7, for the words "Form P1", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 14,

(a) in sub-regulation (3), for the words "Form P2", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (5), for the words "Form P3", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(c) in sub-regulation (7), for the words "Form P4", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 15,

(a) for the words "Form P2", the words "such form as referred in Regulation 14" shall be substituted.

(b) in clauses (iii) and (vi), for the words "Form P5", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

6. In the principal regulations, in regulation 16,

(a) in sub-regulation (1), for the words "Form P6", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words "Form P7", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

7. In the principal regulations, in regulation 17, for the words "Form P8", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

8. In the principal regulations, for regulation 18, the following shall be substituted namely:-

"**18. Information and documents to be furnished by the applicant.**

For the purposes of sub-section (3) of section 54C of the Code, the corporate applicant shall, along with the application, furnish the following information and documents:—

(1) a copy of the declaration made by the majority of the directors or partners, as the case may be, in such format as notified by the Board;

(2) a copy of the declaration, special resolution or resolution, as the case may be, for initiating pre-packaged insolvency resolution process in terms of section 54A;

(3) proof of approval from financial creditors, not being related parties, representing not less than fifty-one per cent. in value of the financial debt;

(4) details of insolvency professional as follows:

(a) the written consent of the proposed resolution professional in such format as notified by the Board;

(b) the report of the resolution professional referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 54B of the Code, prepared in such format as notified by the Board.

(5) audited financial statements of the corporate debtor for the last two financial years;

(6) provisional financial statements for the current financial year made up to the date of the declaration by the directors or partners, as the case may be; and

(7) a format as notified by the Board and submitted by the authorised representatives selected for the classes of creditors, wherever applicable.".

9. In the principal regulations, in sub-regulation (2) of regulation 19,

(a) in clause (a), for the words "Form P9", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in clause (b), for the words "Form P2", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

10. In the principal regulations, in regulation 20,

(a) in sub-regulations (1), (2) and (8), for the words "Form P10", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (9) for the words "Form P10", the words "The format as notified by the Board under sub-regulation (8)" shall be substituted.

11. In the principal regulations, in regulation 43,

(a) in sub-regulation (1), for the words "Form P11", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2) and (3), for the words "Form P11", the words "form referred in sub-regulation (1)", shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 49,

(a) in sub-regulation (1), for the words "Form P12", the words "such format as notified by the Board" shall be substituted.

(b) in sub-regulation (4) for the words "in Form P13", the words "in such format as notified by the Board" shall be substituted.

13. In the principal regulations, in regulation 51, for the words "in Form P14", the words "in such format as notified by the Board" shall be substituted.

14. In the principal regulations, "SCHEDULE" after regulation 51 shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./136/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) Regulations, 2021 were published vide notification No. IBBI/2021- 22/GN/REG071, dated 9th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 151 on dated 9th April, 2021 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process)(Second Amendment) Regulations, 2026 published *vide* notification No. IBBI/2026-27/GN/REG143, dated the 19th May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 330 on 20th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.03 10:53:11 +05'30'